

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1977

का० आ० 217(अ).—केन्द्रीय सरकार बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् अपनी यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिए बेचे जाने वाले, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट बीजों के प्रकार की क्वालिटी का, स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उनकी किस्म की बाबत विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्म, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की बाबत, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्म होगी।

सारणी

बीज का प्रकार बीज की किस्म क्षेत्र जिसके लिए अधिसूचित किया गया है

1	2	3
धान	ज्योती	केरल

[सं० 7-30/75-एस डी]

पी० एस० कोहली, संयुक्त सचिव।

S.O. 217(A).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (No. 54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seeds Commission, being of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the kind of seeds specified in the column (1) of the Table below, hereby declares that the corresponding entry in column (2) of the Table below, to be notified variety for the purpose of agricultural, hereby declares the said variety of seeds to be notified variety for the purpose of said Act in respect of the areas specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Kind of seed	Variety of seed	Area for which notified
Wheat	Jyoti	Kerala

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977